105

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

ज्ञापांक– 6/वि01–103/2004–1156 पटना, दिनांक–20/8/09

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता (रूपांकण एवं यांत्रिक को छोड़कर)

विषयः– अनाच्छादित/आंशिक आच्छादित टोले के आच्छादन हेतु चापाकलों के निर्माण हेतु स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है अनाच्छादित/आंशिक आच्छादित टोले में आच्छादन हेतु नये चापाकलों के निर्माण के लिए विभाग द्वारा स्वीकृत योजना का अपेक्षित लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अत्यन्त पिछड़े वर्गों को नहीं मिल पा रहा है। सरकार की मंशा रही है कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अत्यन्त पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता दी जाय।

उपर्युक्त के आलोक में निम्नांकित निदेश है:–

(i) अनाच्छादित/आंशिक आच्छादित टोलों में आच्छादन हेतु नये चापाकलों के निर्माण के लिए स्वीकृत योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य का कम से कम 50 प्रतिशत चापाकलों का निर्माण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अत्यन्त पिछड़े वर्गों के टोलों में किया जाय ताकि इन वर्गों के लोगों को योजना का पूर्ण लाभ मिल सके।

(ii) चापाकलों के निर्माण के संबंध में यह भी जानकारी मिलती रहती है कि चापाकल के साथ ड्रेन का निर्माण नहीं किया जाता है एवं किया जाता है तो उसका आकार छोटा है जिससे उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए चापाकलों का प्लेटफॉर्म 10 फीट X 12 फीट तक बनाया जा सकता है एवं ड्रेन की लम्बाई 10 मीटर है ताकि अवशेष जल की निकासी समुचित स्थान पर हो सके एवं चापाकल के आसपास गंदगी नहीं फैले। यह भी सुनिश्चित करें कि चापाकल के आसपास वातावरण स्वच्छ रखा जाय।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

(मदन कुमार) 20/8/09
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–6/वि01–103/2004–1156 पटना, दिनांक–20/8/09

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

(मदन कुमार)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–6/वि01–103/2004–1156 पटना, दिनांक–20/8/09

प्रतिलिपिः– मुख्यालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मदन कुमार)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–6/वि01–103/2004–1156 पटना, दिनांक–20/8/09

प्रतिलिपिः– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मदन कुमार)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव